**R. K. College of Systems & Management**

RKCSM

*(Affiliated to Dr. B. R. Ambedkar University, Agra)*

Chameli Bagh, Agra Road, (Opp. Telco) Firozabad-283 203 (U. P.)
Ph. : 265018, 247442 (M) : 9897333230, 9412458998.

RKCSM - 910/1

To,

The Regional Director,

National Council for Teacher Education

Jaipur

Reference : **F.No.-F1-109/NRC/NCTE/10741 dated 20-01-2007**

Sir,

Respectfully I state that following material is being sent :-

1- Annexure- I and Annexure –II of faculty members.

2- Affidavit of faculty members on Rs. 10/- non judicial stamp paper.

3- Affidavit by the Institution on Rs 100/- stamp paper.

With regards

Yours sincerely

(N.K. Porwal)

Regd. Office : S-11, MIG, Prasad Nagar, New Delhi - 110 005
Phone : 2572 4699 Mobile : 9810087266 E-Mail : info@rkcsm.com

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1592/जी.एस.
दिनांक 20 / 9 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्रांक पी०ओ०डी०/एफिल/५६८/२००४ दिनांक २८ सितम्बर २००४ एवं पत्रांक एफिल/२६१/२००६ दिनांक १५-०७-२००६ के संदर्भ में तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-४१४६२/२००५ में पारित आदेश दिनांक १४-०६-२००५ के अनुपालन मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन आर०के० कालेज ऑफ सिस्टम्स एण्ड मैनेजमेन्ट, फिरोजाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२०५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

३- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय [illegible] तिलकनगर, [illegible] जयपुर।
४- प्रबन्धक/प्राचार्य, आर०के० कालेज ऑफ सिस्टम्स एण्ड मैनेजमेन्ट, फिरोजाबाद।

( विजय कुमार सिंह )
कुलाधिपति के अनु सचिव

शिव पूजन
उपकुलसचिव

पी.बी.एक्स : 2852373, 2852374, 2852045
फैक्स : 2521001
डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा

पत्रांक : एफिल/ /2006
दिनांक : 15/11/2006

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
आर0के0 कॉलेज ऑफ सिस्ट्मस एण्ड मैनेजमेंट,
फिरोजाबाद

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या ई0स0 1592/जी0एस0 दिनांक 20-09-2006 द्वारा सूचित किया गया है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में आर0के0 कॉलेज ऑफ सिस्ट्मस एण्ड मैनेजमेंट, फिरोजाबाद में दिनांक 1-7-2004 से उक्त पत्र में उल्लिखित तीन शर्तो के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

कुलाधिपति सचिवालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र कुलाधिपति सचिवालय के उक्त पत्र दिनांक 20-09-2006 में उल्लिखित शर्तो को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा ।

1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003/16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।

2- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेंगी ।

क्रमशः.....2

Uni-Let1.nm5\882

शिव पूजन
उप कुलसचिव

पी.बी.एक्स. : 2852373, 2852374, 2850345
फैक्स : 2521001
डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा



3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

यदि प्रबन्धतंत्र कुलाधिपति सचिवालय के पत्र में इंगित कमियों को पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, शैक्षिक, प्रशासन, लेखा
2- निजी सचिव कुलपति
3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा ।

उप कुलसचिव